दूरभाष :– 2233578 (का0)

2210315(भवन)

श्रीकृष्ण मेमोरियल भवन

श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, जो कछुए की आकृति का है, उतरी गॉधी मैदान, रेड क्रॉस भवन, पटना के पूरब अवस्थित हैं। श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल, पटना जंक्शन एवं जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डा, पटना से क्रमशः 3 कि0मी0 एवं 9 कि0मी0 की दूरी पर है।

श्रीकृष्ण मेमोरियल भवन राजधानी का एक गौरवशाली पूर्णतः वातानुकूलित ऑडोटोरियम आम जनता के कार्यक्रम आयोजनार्थ उपलब्ध है। इस वातानुकूलित भवन के बड़े रंगमंच के पीछे मुख्य हॉल में 1826 श्रोताओं के बैठने के लिए आरामदेह कुर्सियां की व्यवस्था है। इस भवन के बड़े रंगमंच के पीछे विशाल सुव्यवस्थित नेपथ्य कक्ष(Green room) है। पर्याप्त शौचालय यथा स्थान दिये गये हैं। ऑडोटोरियम में प्रकाश एवं स्टीरियोफोनिक ध्वनि की उत्तम व्यवस्था है। इस ऑडोटोरियम में एकॉस्टिक की दृष्टि से भी काफी अच्छी है। इस ऑडोटोरियम में भारत के महान कलाकार यथा–हेमामालिनी, सुनील दत्त, उदित नारायण, शोभना नारायण, रूना लैला, पंकज उदास, अनुप जलोटा, पं0 रविशंकर, श्री जाकिर हुसैन, श्री साहिद परवेज, श्री सुजायत खान आदि कलाकारों के कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। इन कलाकारों ने भी इस ऑडोटोरियम की काफी प्रशंसा की है।

2. इसके अतिरिक्त एक छोटा सा 200 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक पूर्णतः वातानुकूलित सभाकक्ष है, जो ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था के साथ सेमिनार/कार्यक्रम आयोजन हेतु उपलब्ध है।

3. साथ हीं साथ हॉल के पूरब का खुला हुआ परिसर जो लगभग 12000 वर्ग फीट एरिया कार्यक्रम हेतु उपलब्ध है।

4. हॉल/सभाकक्ष/परिसर के आरक्षण हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सम्बोधित करते हुए दिया जाता है।

5. <u>आरक्षण की दरें :–</u>

<u>आरक्षण शुल्क की राशि (छः घंटे के स्लाट के लिए)</u> –

(i) <u>गैर सरकारी आयोजकों के लिए</u>

क्रमांक	आरक्षण शुल्क(छः घंटे के लिए)	आरक्षण शुल्क	सेवा शुल्क	विलासिता कर	कुल राशि	जमानत की राशि	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(क)	हॉल	70,000.00	8,652.00	7,000.00	85,652.00	20,000.00	सेवा कर एवं विलासिता कर समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से देय होगा।
(ख)	परिसर	25,000.00	3,090.00	2,500.00	30,590.00	7,000.00	
(ग)	सभा कक्ष	10,000.00	1,236.00	1,000.00	12,236.00	5,000.00	

(ii) सरकारी कार्यक्रम हेतु

क्रमांक	आरक्षण शुल्क(छः घंटें के लिए)	आरक्षण शुल्क	सेवा शुल्क	विलासिता कर	कुल राशि	जमानत की राशि	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(क)	हॉल	45,000.00	5,562.00	4,500.00	55,062.00	12,000.00	सेवा कर एवं विलासिता कर समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से देय होगा।
(ख)	परिसर	10,000.00	1,236.00	1,000.00	12,236.00	5,000.00	
(ग)	सभा कक्ष	7,500.00	927.00	750.00	9,177.00	2,000.00	

(iii) आरक्षण शुल्क, सेवा कर एवं विलासिता कर की कुल राशिकंडिका–(6) के अनुरूप एक अलग बैंक ड्राफ्ट सलंग्न करें तथा इसकी संख्या दें। –

(iv) जमानत की राशि कंडिका–(7) के अनुरूप अलग बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें तथा इसकी संख्या दें –

नोट :–उक्त ड्राफ्ट श्रीकृष्ण स्मारक समिति, पटना के नाम से देय होगा।

6. श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल / परिसर / सभा–कक्ष आरक्षण संबंधी शर्त्ते

1. हॉल में मात्र 1725 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है। जिसमें अगली दो पंक्तियों में 100 अतिविशिष्ट / विशिष्ट व्यक्तियों के बैठने के लिए कर्णाकित है।
   हॉल के स्टेज पर अधिकतम् 25 व्यक्तियों को ही बैठने की अनुमति होगी। अतः किसी भी परिस्थिति में 1800 से अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किये जायें। 1800 से अधिक की संख्या होने पर जानबूझ कर नियम तोड़ने के कारण संस्था / आयोजक के जमानत की सम्पूर्ण राशि जप्त की जायेगी।
2. वेल एवं स्टेज पर कारपेट का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। वेल में कुर्सी नही लगाया जायेगा बल्कि यह स्थान सिर्फ मिडिया के लिए कर्णाकित रहेगा।
3. स्टेज पर अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए समिति के गोदरेज के टेबुल एवं लकड़ी के कुर्सी का उपयोग करने की प्राथमिकता दी जायेगी। स्टेज पर समिति के पोडियम का हीं उपयोग किया

जायेगा। किसी भी स्थिति में स्टेज पर स्टील चेयर का उपयोग नहीं किया जायेगा। स्टेज पर रखे जाने वाले कुर्सी एवं टेबुल के पैर के नीचे प्लास्टीक/रबर का बुस्टर लगा रहना है ताकि इधर–उधर खिंचने से स्टेज पर स्क्रैच न हो।

4. कार्यक्रम के दिन साधारणतः आरक्षित अवधि से 3 घंटा पहले विद्युत प्रबंध एवं अन्य प्रकार की तैयारियों के लिए भवन में प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी। मंच के उपर दोनो तरफ फोकस लाईट का डायरेक्शन इस तरह से की जाय ताकि लोगों पर इसका असर नही पड़े। स्टेज पर प्रजन्टेशन तथा डेकोरेशन के लिए अलग से स्क्रीन लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। हॉल में उक्त कार्य समिति द्वारा कर्णाकित एजेंसी से ही कराना होगा। उक्त तैयारी के क्रम में किसी प्रकार की गंदगी एवं क्षति पहुंचाने की स्थिति में दण्ड स्वरूप 5,000.00 रूपये जमानत की राशि से जप्त कर ली जायेगी।

5. भवन के केयर टेकर, विद्युत–ध्वनि, भवन की सफाई एवं वातानुकुलन संयत्र की व्यवस्था से संबंधित समिति के सवेदक/इनके प्रतिनिधि श्री कृष्ण स्मारक हॉल अवस्थित नियंत्रण कक्ष में कार्यक्रम के दौरान निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे।

6. वातानुकुलन संयंत्र का संचालन कार्यक्रम आरंभ होने के चार घंटा पूर्व किया जायेगा। भोल्टेज कम होने एवं विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर वातानुकुलन संयंत्र का संचालन नहीं होगा।

7. आयोजक की जिम्मेवारी होगी कि कार्यक्रम की अवधि में अतिविशिष्ट गेट को छोड़कर सभी गेट बंद रहे ताकि हॉल मे वातानुकुलन की शीत का प्रभाव बना रहे।

8. सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों के वाहनों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अन्य सभी प्रकार के वाहन परिसर के बाहर ही पार्क किये जायेंगे। परिसर में वाहनों के प्रवेश हेतु आयोजक ''अनुमति पत्र'' निर्गत करेंगे, जिसे वाहनों पर चिपकाया जाना आवश्यक होगा। उक्त वाहनों के परिसर में प्रवेश संबंधी अनुमति से संबंधित अधिकतम 10 वाहनों की सूची जिसमें आयोजक द्वारा 5 वाहनों तक बढाया या घटाया जा सकता है, की एक प्रति कार्यक्रम के दिन आयोजन से चार घंटे पूर्व इसे कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाना आवश्यक होगा। इसके उल्लंघन होने की स्थिति में दण्ड स्वरूप 5,000.00 रूपये की राशि जमानत की राशि से जप्त की जायेगी।

9. प्रथम पंक्ति के कमांक 49 से 61 तक की कुर्सियां श्रीकृष्ण स्मारक भवन विकास समिति/भवन से संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रहेंगी।

10. आयोजन हेतु भवन एवं परिसर के बाहर किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। इसके उल्लंघन होने की स्थिति में दंडस्वरूप 5,000/–रूपये की राशि जमानत की राशि से जब्त की जायेगी।

11. हॉल/बरामदा में किसी प्रकार की खाद्य सामग्री/भोजन सामग्री/चाय/कॉफी इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। इसके उल्लंघन पर दण्ड स्वरूप जमानत की सम्पूर्ण राशि जप्त की जायेगी।

12. भवन की दीवालों, वेल एवं स्टेज में कांटी/पीन का उपयोग, भवन एवं पूरे परिसर में किसी प्रकार का पोस्टर, बैनर चिपकाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। पोस्टर/वैनर का उपयोग चिन्हित स्थान यथा स्टेज के लिए बैक ड्रॉप/भवन के मुख्य द्वार के आगे हीं किया जायेगा। इसके उल्लंघन पर दण्ड स्वरूप 5,000.00 रूपये जमानत की राशि से जप्त की जायेगी।

13. प्रज्जवलन उद्घाटन दीप आयोजक का होगा। हॉल के भीतर दीप प्रज्जलवन को छोड़कर कोई मोमबती या अन्य ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग नही करना है। इसके उल्लंघन होने पर जमानत की सम्पूर्ण राशि जप्त की जायेगी।

14. हॉल/सभाकक्ष/बरामदा/परिसर में धुम्रपान एवं मदिरापान तथा अन्य मादक पदार्थों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।

15. आयुक्त, पटना प्रमंडल की पूर्वानुमति के बिना परिसर एवं बरामदे या अन्य किसी भी भाग, जो आरक्षित नहीं है, का उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो जमानत की सम्पूर्ण राशि जप्त कर अन्य विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

16. कार्यक्रम प्रारंभ होने के तुरंत पहले एवं समाप्त होने के तुरंत बाद भवन के केयरटेकर के पास उपलब्ध रजिस्टर पर आयोजक समय अंकित करते हुए हस्ताक्षर अंकित करेंगे।

17. आरक्षित अवधि के पहले से या अधिक देर तक यदि कार्यक्रम चलाया जाता है तो इसके लिए अनुपातिक शुल्क जमा करनी होगी।

18. आयोजक को अपने सामानों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। इसके लिए उनको विशेष सिक्यूरिटी गार्ड की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

19. कार्यक्रम के दौरान भवन के बाथरूम एवं अन्य स्थानों पर प्रयुक्त नलों एवं अन्य सामानों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक की होगी।

20. भवन के परिसर में अवस्थित स्व0 श्रीकृष्ण सिंह की मूर्त्ति वाले गार्डेन का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।

21. भवन के पश्चिमी भाग का परिसर अतिविशिष्ट जोन है, जिसका उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

22. आयोजनकर्ता द्वारा आयोजन की तिथि से एक सप्ताह पूर्व आरक्षण रद्द करने की सूचना देने पर आरक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

23. आयोजन की तिथि से दो दिन पूर्व और एक सप्ताह के अन्दर आरक्षण रद्द करने की सूचना देने पर 25 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

24. आयोजन की तिथि से एक दिन पूर्व आरक्षण रद्द करने की सूचना देने पर आरक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

25. आयोजन के दिन आरक्षण रद्द करने की सूचना देने या नहीं देने पर आरक्षण शुल्क की कोई राशि वापस नहीं की जायेगी।

26. आयोजन के दौरान भवन की सम्पत्ति को यदि कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो जमानत की सम्पूर्ण राशि जप्त कर ली जायेगी, साथ ही उसकी क्षतिपूर्ति हेतु अन्य विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

27. लोकहित/जनहित में सरकारी कार्यक्रम होने की स्थिति में आरक्षण रद्द करने का अधिकार आयुक्त, पटना प्रमंडल को सुरक्षित रहेगा।